

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
नरसिंगराम पुत्र किरतूरराम  
जाति माली तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2026/30

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08 <u>01</u> 26	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 2373, 2372, 2315 कुल खसरे 3 कुल रकबा 2.54 हैक्टर किस्म चाही दायम व जाव दायम कुल लगान 66.58 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा, अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्नेई, आर.ए.एस.

वादीगण  
नरसिंगराम पुत्र किस्तूरराम  
जाति माली तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

.किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2026/30  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेशोकार सरकार मिनजानिव मुद्ई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 2373, 2372, 2315 कुल खसरे 3 कुल रकबा 2.54 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम कुल लगान 66.58 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बाली एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08-01-26 को जारी की गई



(दिनेश विश्नेई पदेन्  
सहायक कलक्टर एवं पाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

2284/3121  
 2284/3122  
 2284/3123  
 2284/3124  
 2284/3125  
 2284/3126  
 2284/3127  
 2284/3128  
 2284/3129  
 2284/3130  
 2284/3131  
 2284/3132  
 2284/3133  
 2284/3134  
 2284/3135  
 2284/3136  
 2284/3137  
 2284/3138  
 2284/3139  
 2284/3140  
 2284/3141  
 2284/3142  
 2284/3143  
 2284/3144  
 2284/3145  
 2284/3146  
 2284/3147  
 2284/3148  
 2284/3149  
 2284/3150  
 2284/3151  
 2284/3152  
 2284/3153  
 2284/3154  
 2284/3155  
 2284/3156  
 2284/3157  
 2284/3158  
 2284/3159  
 2284/3160  
 2284/3161  
 2284/3162  
 2284/3163  
 2284/3164  
 2284/3165  
 2284/3166  
 2284/3167  
 2284/3168  
 2284/3169  
 2284/3170  
 2284/3171  
 2284/3172  
 2284/3173  
 2284/3174  
 2284/3175  
 2284/3176  
 2284/3177  
 2284/3178  
 2284/3179  
 2284/3180  
 2284/3181  
 2284/3182  
 2284/3183  
 2284/3184  
 2284/3185  
 2284/3186  
 2284/3187  
 2284/3188  
 2284/3189  
 2284/3190  
 2284/3191  
 2284/3192  
 2284/3193  
 2284/3194  
 2284/3195  
 2284/3196  
 2284/3197  
 2284/3198  
 2284/3199  
 2284/3200



2315  
 2316  
 2317  
 2318  
 2319  
 2320  
 2321  
 2322  
 2323  
 2324  
 2325  
 2326  
 2327  
 2328  
 2329  
 2330  
 2331  
 2332  
 2333  
 2334  
 2335  
 2336  
 2337  
 2338  
 2339  
 2340  
 2341  
 2342  
 2343  
 2344  
 2345  
 2346  
 2347  
 2348  
 2349  
 2350  
 2351  
 2352  
 2353  
 2354  
 2355  
 2356  
 2357  
 2358  
 2359  
 2360  
 2361  
 2362  
 2363  
 2364  
 2365  
 2366  
 2367  
 2368  
 2369  
 2370  
 2371  
 2372  
 2373  
 2374  
 2375  
 2376  
 2377  
 2378  
 2379  
 2380  
 2381  
 2382  
 2383  
 2384  
 2385  
 2386  
 2387  
 2388  
 2389  
 2390  
 2391  
 2392  
 2393  
 2394  
 2395  
 2396  
 2397  
 2398  
 2399  
 2400